

110 कमील करीबेन उफण पुनहुल्लु वान्तेकडे वाय  
 लकीम तुलना इवेर 2 पत्रावली डिनाब 12/3/19  
 कापिश हो

12/2 कमीलो के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन के  
 कारण पुनहुल्लु डिना 1/3/19 कापिश हो

13/2 कमील करीबेन उफण वरवाप लकीम तुलना इवेर  
 पत्रावली वान्ते काइनाल कदस डिनाब 19/3/19  
 कापिश हो

13/3 कमीलों के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन के  
 कारण पुनहुल्लु डिना 21/4/19 कापिश हो

14/9 कमील करीबेन उफण तहसीलदार लोयम के  
 संबादा लकीम तुलना की गई / कापिश हो डिना  
 तमना वका कादीमागण काइनाल डिनी डिना  
 जाय हो विलुत विवेक पुनहु के सिखादा उफण  
 शाहिल डिना तमना पत्रावली कदस कुमा होकर  
 नम्वर ले कदस हो तथा काय तहसील तहसील दाहिना  
 देपतर हो

15/9 कमील कादीमागण द्वारा लोयम इयु पी के  
 का डिनी जायी करने हेतु उफण कापिश  
 काइनाल डिनी जायी हो पत्रावली कापिश  
 देपतर हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0 किरम ता0दायरा तारीख फाईनल निर्णय  
50/17 दावा 02.08.17 09.04.19

1. तुलसा पत्नि हरि जाति मीना निवासी किराड़ी तहसील सपोटरा जिला  
2. केशन्ती पत्नि रामकेश करौली राजस्थान।  
बनाम -वादीयागण

1. बत्तीलाल पुत्र रंगा 2. रामलाल 3. श्यामलाल 4. कलुआ 5. बत्तीलाल पुत्रान भजन  
6. धनसिह पुत्र कजोडया 7. शेरसिह पुत्र मुकेश 8. पूजा पुत्री मुकेश 9. मीरा पत्नि  
मुकेश सभी जाति मीना निवासी नीमझाड़ी तह0 सपोटरा 10. मांग्या पुत्र धीरया जाति  
दरोगा निवासी लुहारपुरा तह0 सपोटरा 11. शाखा प्रबन्धक वी0ओ0वी0 शाखा हाडीती  
12. शाखा प्रबन्धक पी0एन0वी0 शाखा अमरगढ 13. शाखा प्रबन्धक पी0एन0वी0 शाखा  
सपोटरा 14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राज0। -प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:- श्री राजेन्द्र सोनी एड0 वकील वादीगण

श्री कमरपाल मीना वकील प्रति0 सं0 2 ता 4 व 10 की ओर से।


श्री केशव कुमार गोत्तम वकील प्रति0 सं0 1, 6 ता 9 की ओर से।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीयागण इस प्रकार से है कि ग्राम बगीदा तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादीयागण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात का बंटवारा वावत् किया गया दावा इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय दिनांक 26.10.2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एलआर/2019/462 दिनांक 25.02.2019 द्वारा ग्राम बगीदा की बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वकील वादीयागण एवं वकील प्रतिवादीगण भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादीयागण मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. तुलसा पत्नि हरि जाति मीना निवासी किराड़ी के हिस्से में ख0नं0 646/1 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा रहेगा।
2. केशन्ती पत्नि रामकेश जाति मीना निवासी किराड़ी के हिस्से में खसरा नं0 646/2 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा रहेगा।
3. धनसिह पुत्र कजोडया जाति मीना निवासी निवासी नीमझाड़ी के हिस्से में ख0नं0 643/3 रकबा 06 बिस्वा रहेगा।
4. शेरसिह पुत्र मुकेश, पूजा पुत्री मुकेश, मीरा पत्नि मुकेश जाति मीना निवासी नीमझाड़ी के हिस्से में ख0नं0 646/4 रकबा 06 बिस्वा रहेगा।
5. बत्तीलाल पि0मु0 रंगा जाति मीना निवासी नीमझाड़ी के हिस्से में खसरा नं0 646/5 रकबा 11 बिस्वा रहेगा।
6. रामलाल श्यामलाल बत्तीलाल कलुवा पि0 भजन जाति मीना निवासी नीमझाड़ी के हिस्से में खसरा नं0 646/6 रकबा 11 बिस्वा रहेगा।
7. मांग्या पुत्र धीरया जाति दरोगा निवासी लुहारपुरा के हिस्से में खसरा नं0 646/7 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। आराजी विवादित के लगान राशि के सात गुना पर 11 प्रतिशत की दर से देय स्टॉम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो।

  
(तारामती वैष्णव आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सपोटरा जिला करौली